

उत्तर प्रदेश शासन

चिकित्सा अनुभाग-8

संख्या- 144 /पांच-8-2017-जी0(19)/2017

लखनऊ: दिनांक 02 फरवरी, 2017

कार्यालय-जाप

शासन के कार्यालय जाप संख्या-101/3660/पांच-8-2016-जी0(272)/2016, दिनांक 29-11-2016 द्वारा लोक सेवा आयोग, इलाहाबाद की चयन संस्तुति के क्रम में प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के अन्तर्गत वेतनमान रु0 15,600-39,100/- ग्रेड पे रु0 5400/- में एलोपैथिक चिकित्साधिकारी के पद पर डा0 कंचन सिंह की नियुक्ति/तैनाती ई0एम0ओ0 जिला महिला चिकित्सालय, कौशाम्बी में की गयी है। उक्त नाम का चिकित्सालय न होने के कारण डा0 कंचन सिंह को कार्यभार ग्रहण नहीं कराया गया। डा0 कंचन सिंह द्वारा अपनी नियुक्ति/तैनाती परिवर्तित किये जाने का अनुरोध किया गया है। सम्यक विचारोपरान्त डा0 कंचन सिंह के पूर्व नियुक्ति/तैनाती स्थल को संशोधित करते हुए स्तम्भ-7 के अनुसार कार्यालय जाप दिनांक 29-11-2016 के क्रम में एतद्वारा तैनात किया जाता है :-

| क्र.सं. | सूची क्रमांक | चयन क्रमांक | चिकित्साधिकारी का नाम/पिता/पति का नाम | गृह जनपद | पूर्व तैनाती | संशोधित तैनाती |
|---------|--------------|-------------|--|----------|---|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | 119 | एस-338 | डा0 कंचन सिंह/पुत्री श्री शिवमोहन सिंह | फतेहपुर | ई0एम0ओ0 जिला महिला चिकित्सालय, कौशाम्बी | अधीन मु0चि0अ0, कौशाम्बी |

2- डा0 कंचन सिंह को निर्देशित किया जाता है कि अपने नवीन तैनाती स्थल पर दिनांक 28-02-2017 तक कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें।

3- कार्यालय जाप दिनांक 29-11-2016 की शेष शर्तें यथावत रहेगी।

राम नगीना मौर्य,
संयुक्त सचिव।

संख्या- 144 (1)/पांच-8-2017-तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- 2- सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- 3- महानिदेशक/निदेशक(प्रशासन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उ0प्र0, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि नियुक्ति आदेश डा0 कंचन सिंह को अपने स्तर से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। नियुक्ति में कोई भी परिवर्तन शासन स्तर से ही किया जायेगा।

क्रमश----

u.o.m.n

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

- 4- मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, इलाहाबाद मण्डल, इलाहाबाद।
- 5- निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, 30प्र0, इलाहाबाद।
- 6- संयुक्त निदेशक(कार्मिक/गोपन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, 30प्र0, लखनऊ।
- 7- मुख्य चिकित्साधिकारी, कौशाम्बी।
- 8- मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका, जिला महिला चिकित्सालय, कौशाम्बी।
- 9- सम्बन्धित चिकित्साधिकारी।
- 10- कोषाधिकारी, कौशाम्बी ।
- 11- गार्ड फाइल/कम्प्यूटर सेल।

आज्ञा से,

(राम नगीना मौर्य)
संयुक्त सचिव।

u.o.m.n

-
- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
 - 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

उत्तर प्रदेश शासन
चिकित्सा अनुभाग-3
संख्या-191/चि0-3-17-टी0-1(262)/2016

लखनऊ : दिनांक 02 जनवरी, 2017

कार्यालय ज्ञाप/शुद्धि पत्र

शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-14/2017/एच0एम0-350/चि0-3-16-टी0-1(262)/2016 दिनांक 04-01-2017 द्वारा डा0 प्रजेश कुमार श्रीवास्तव, निश्चेतक (वरि0क0-13963, लेवल-2), अधीन मुख्य चिकित्साधिकारी, उन्नाव का जनहित में ट्रामा सेन्टर, उन्नाव किये गये स्थानान्तरण आदेश को संशोधित करते हुये अधीन मुख्य चिकित्साधिकारी, रायबरेली किया गया है। उक्त स्थानान्तरण आदेश में कार्यालय ज्ञाप संख्या-53/2016/771/चि0-3-16-टी-1(35)/2016, दिनांक 13-04-2016 के स्थान पर कार्यालय ज्ञाप संख्या-127/2016/1746/चि0-3-16-टी0-1(134)/2016, दिनांक 21-07-2016 एवं डा0 प्रजेश कुमार श्रीवास्तव, ई0एम0ओ0 के स्थान पर डा0 प्रजेश कुमार श्रीवास्तव, निश्चेतक त्रुटिवश अंकित हो गया है।

अतएव उक्त कार्यालय ज्ञाप संख्या-14/2017/एच0एम0-350/चि0-3-16-टी0-1(262)/2016 दिनांक 04-01-2017 में अंकित कार्यालय ज्ञाप संख्या-127/2016/1746/चि0-3-16-टी0-1(134)/2016, दिनांक 21-07-2016 के स्थान पर कार्यालय ज्ञाप संख्या-53/2016/771/चि0-3-16-टी1 (35)/2016, दिनांक 13-04-2016 तथा डा0 प्रजेश कुमार श्रीवास्तव, निश्चेतक के स्थान पर डा0 प्रजेश कुमार श्रीवास्तव, ई0एम0ओ0 पढ़ा एवं समझा जाय।


2- उक्त कार्यालय ज्ञाप दिनांक 04-01-2017 इस सीमा तक संशोधित समझा जाय।

विनोद कुमार सिंह
संयुक्त सचिव

संख्या-191(1)/चि-3-17, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1. महानिदेशक/निदेशक (प्रशासन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2. अपर निदेशक (कार्मिक/गोपन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. अपर निदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, लखनऊ मण्डल, लखनऊ।
4. मुख्य चिकित्साधिकारी, उन्नाव/रायबरेली।
5. मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, ट्रामा सेन्टर, उन्नाव।
6. वरिष्ठ कोषाधिकारी, उन्नाव/रायबरेली।
7. सम्बन्धित चिकित्साधिकारी (द्वारा-मुख्य चिकित्साधिकारी, उन्नाव/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, ट्रामा सेन्टर, उन्नाव।
8. प्रभारी, कम्प्यूटर सेल को इस आशय से प्रेषित कि वह कृपया उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने के साथ-साथ सम्बन्धित चिकित्सक का पी-2 संशोधित करने का कष्ट करें।
9. चिकित्सा अनुभाग-2/8।
10. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(जे0 एल0 यादव)
अनुसचिव

-
- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
 - 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साईट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

